



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939

No. 331]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/ VAISAKHA 11, 1939

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 421(अ).—भारत गणराज्य और ब्राजील परिसंघीय गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संबंधी संधि पर 16 अप्रैल, 2008 को ब्रासिलिया में हस्ताक्षर किए गए थे और अनुसमर्थन की लिखतों का ब्रासिलिया में 21 जुलाई, 2015 को आदान-प्रदान किया गया था;

और, इस संधि के अनुच्छेद 25, पैरा (1) के उपबंधों के अनुसार 20 अगस्त, 2015 से उक्त संधि प्रवृत्त हुई;

और, उक्त प्रत्यर्पण संधि इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय-3 से भिन्न, उपबंध ब्राजील परिसंघीय गणराज्य पर उक्त संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

"भारत गणराज्य और ब्राजील परिसंघीय गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य और ब्राजील परिसंघीय गणराज्य (जो इसके पश्चात पक्षकार कहे जाएंगे)

अपराधियों के प्रत्यर्पण के माध्यम से अपराध के दमन में और प्रभावी द्विपक्षीय सहयोग की इच्छा रखते हुए;

यह मानते हुए कि संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं;

दंडमुक्ति का सामना और प्रभावी तरीके से करने की इच्छा रखते हुए;

प्रत्येक पक्षकार की प्रभुसत्ता, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों का सम्मान करते हुए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद एक

प्रत्यर्पण की बाध्यता

पक्षकार इस संधि के प्रावधानों के अनुरूप दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में प्रत्यर्पणीय अपराध के अभियुक्त अथवा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में अभियोजन हेतु अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में पाए गए किसी उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण करेंगे जिसके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायाधीश द्वारा गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हों, चाहे इस प्रकार का अपराध इस संधि के प्रभावी होने से पूर्व अथवा बाद में अंजाम दिया गया हो।

अनुच्छेद दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. कोई अपराध प्रत्यर्पणीय होगा यदि वह कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने अथवा बंदी बनाए जाने अथवा और कड़े दंड द्वारा दोनों पक्षकारों के कानूनों के तहत दंडनीय अपराध हो।
2. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध, अनुरोधकर्ता पक्षकार पर लगाए गए दंड को तामील करने के लिए किया गया हो तो बचे हुए दंड की अवधि कम से कम एक वर्ष होगी।
3. कोई अपराध प्रत्यर्पणीय होगा यदि वह पैराग्राफ 1 में उल्लिखित कोई अपराध हो जिसे अंजाम देने का प्रयास अथवा षड्यंत्र किया गया हो, अपराध को अंजाम देने से पूर्व अथवा उसके पश्चात उसमें सहायता की हो, उसके लिए उकसाया हो अथवा उसका साधन बना हो।
4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई अपराध प्रत्यर्पणीय होगा यदि:
 - (क) जहां कराधान, सीमा-शुल्क झूठी, विदेशी मुद्रा, धन का अवैध आदान-प्रदान अथवा अन्य राजस्व मामलों से संबंधित कानून के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण अपेक्षित हो। प्रत्यर्पण से इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार के कानून के अनुरूप उसी प्रकार का कर, झूठी नहीं लगाया है अर्थात् उसी प्रकार का कोई कर, झूठी, सीमा-शुल्क अथवा विनिमय मुद्रा उसके पास नहीं है।
 - (ख) अनुरोधकर्ता पक्षकार का कानून अपराध को अपराध के उसी वर्ग में रखता है अथवा अपराध को उसी शब्दावली द्वारा परिभाषित करता है अथवा नहीं।
5. यदि प्रत्यर्पण प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रदान किया गया है तो उसे अनुरोध में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अपराध के लिए भी प्रदान किया जाएगा, चाहे बाद वाला अपराध एक वर्ष से कम की अवधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने अथवा बंदी बनाए जाने द्वारा दंडनीय हो, बशर्ते प्रत्यर्पण की बाकी सभी शर्तें पूरी हों।

अनुच्छेद तीन

संयुक्त अपराध

प्रत्यर्पण प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए इस संधि के अनुसार प्रदान किया जाएगा, चाहे अपेक्षित व्यक्ति का कृत्य पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में हुआ हो, यदि उस पक्षकार के कानून के तहत कथित कृत्य और उसका प्रभाव अथवा उसके निहित आशय को समग्र रूप से अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में प्रत्यर्पणीय अपराध करना माना जाएगा।

अनुच्छेद चार**प्रत्यर्पण और अभियोजन**

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा प्रत्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण अपेक्षित है उस पर उस पक्षकार के न्यायालयों में उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो।
2. जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निहित कारण से प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार नहीं करता है, वहां इस मामले को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा ताकि अभियोजन पर विचार हो सके। वे प्राधिकारी इस पर उस पक्षकार के कानून के तहत गंभीर प्रकृति के किसी अपराध के मामले के समान ही निर्णय लेंगे।
3. यदि सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार के मामले में अभियोजन नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो प्रत्यर्पण के अनुरोध पर इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण हेतु पुनः विचार किया जा सकता है।

अनुच्छेद पांच**राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण**

1. कोई भी पक्षकार स्वयं अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण नहीं करेगा। उस अपराध को अंजाम देने के समय पर राष्ट्रीयता का निर्धारण किया जाएगा जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो।
2. पैरा 1 के अनुसरण में यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार केवल राष्ट्रीयता के आधार पर व्यक्ति को नहीं सौंपता तो वह अपने कानूनों के अनुसार और अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर यह मामला सक्षम प्राधिकारियों को सौंप देगा ताकि उचित समझे जाने पर कार्यवाहियों को अंजाम दिया जा सके। यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो तो इस प्रकार के दस्तावेज निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। अनुरोधकर्ता पक्षकार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से ऐसे अनुरोध के परिणामों से अवगत करवाया जाएगा।

अनुच्छेद छह**राजनैतिक अपराध अपवाद**

1. प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा यदि जिस अपराध के लिए अनुरोध किया गया है वह राजनैतिक प्रकृति का हो। किसी अपराध को मात्र राजनैतिक करार दे देने से ही उसे राजनैतिक अपराध नहीं मान लिया जाएगा।
2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक प्रकृति का नहीं माना जाएगा:
 - (क) वह अपराध जिसके लिए दोनों पक्षकार उस बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि/अभिसमय के कारण प्रत्यर्पण करने अथवा मामले को अभियोजन हेतु सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हों, जिसके दोनों पक्षकार हों अथवा भविष्य में बन सकते हों।
 - (ख) पक्षकारों में से किसी भी एक पक्षकार को राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष के किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष के परिवार के सदस्य की हत्या, हत्या का प्रयास अथवा हमला;
 - (ग) हत्या या गैर-इरादतन मानव वध/मानव हत्या;
 - (घ) ऐसा अपराध जिसमें बारूदी शस्त्र, विस्फोटक, अग्नि बमों, विध्वंसक उपकरण अथवा वे पदार्थ शामिल हों जिनसे मृत्यु, गंभीर शारीरिक चोट अथवा संपत्ति को भारी क्षति पहुंचे;
 - (ङ.) आतंकवाद से संबंधित अपराध;
 - (च) बंधक बनाए जाने सहित अपहरण, व्यवहरण, मिथ्या आधार पर जेल अथवा अवैध रूप से बंदी बनाया जाना;
 - (छ) जातिसंहार अथवा मानवता की शांति और सुरक्षा के विरुद्ध अपराध;

- (ज) नावों और वायुयानों को जब्त करने का कृत्य;
- (झ) उपर्युक्त अपराधों में से किसी भी अपराध को अंजाम देने का षड्यंत्र करना या ऐसा करना या ऐसा करने का प्रयास करना अथवा इसमें शामिल होना अथवा भाग लेना।
3. किसी भी अपराध को राजनैतिक अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अनुसार माना जाएगा।
4. प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार यह मानता है कि अपराध की मामूली प्रकृति सहित सभी परिस्थितियों के संबंध में अथवा न्याय के हित में उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण अनुचित अथवा अनुपयुक्त होगा।

अनुच्छेद सात

इन्कार करने का आधार

1. प्रत्यर्पण से निम्न कारणों से इन्कार किया जा सकता है:-
- (क) यदि अपेक्षित व्यक्ति का अभियोजन अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा उसी अपराध के लिए किया गया हो, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है;
- (ख) यदि वांछित व्यक्ति को अंतिम रूप से दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध करार दिया गया हो और अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अथवा किसी तीसरे राज्य में समान अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के लिए सजा दी गई हो;
- (ग) यदि उस अपराध के लिए, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के भूभाग में मुकदमा चलाया गया होता तो पूर्ववर्ती दोषमुक्ति अथवा सजा के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के राष्ट्रीय कानून के किसी नियम के तहत रिहा किए जाने का वह हकदार होता;
- (घ) यदि अनुरोधकर्ता पक्षकार के राष्ट्रीय कानून के अनुसार अभियोजन कालातीत होने के कारण रद्द हो गया हो।
2. निम्नलिखित के लिए भी प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है:-
- (क) यदि वह अपराध जिसके लिए अनुरोध किया गया है, एक सैन्य अपराध है जो कि किसी भी पक्षकार के सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है;
- (ख) जबकि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के पास को यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि प्रत्यर्पण का अनुरोध वांछित व्यक्ति पर नस्ल, धर्म अथवा लिंगभेद के कारण मुकदमा चलाने अथवा उसे दंडित करने के लिए किया गया है;
- (ग) यदि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसे ऐसी सजा दी गई है जिसका कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के यहां प्रावधान न हो;
- (घ) यदि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस पर अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-भाग में किसी असाधारण अथवा तदर्थ न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो अथवा निर्णीत किए जाने हैं। इस करार के प्रयोजनार्थ असाधारण अथवा तदर्थ न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण शब्द की व्याख्या किसी भी संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानूनों के द्वारा निर्धारित नियमित प्रक्रिया के द्वारा स्थापित विशेष न्यायालय के रूप में नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद आठ

प्रत्यर्पण का आस्थगन

यदि वांछित व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के राज्य में किसी ऐसे अपराध, जो कि उस अपराध से अलग है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के लिए कार्यवाही की जा रही है अथवा वह सजा काट रहा है तो

अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार वांछित व्यक्ति को सौंप देगा या उसके सौंपे जाने को स्थगित रखेगा जब तक कि कार्यवाही का निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो जाता या पूरी अथवा आंशिक रूप से दी गई सजा पूर्ण नहीं हो जाती। अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार ऐसे किसी आस्थगन के विषय में अनुरोधकर्ता पक्षकार को सूचित करेगा।

अनुच्छेद नौ

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

1. संधि के अधीन प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा।
2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:
 - (क) वांछित व्यक्ति की पहचान, राष्ट्रीयता और आवास का पता लगाने में मदद करने वाली किसी अन्य सूचना के साथ-साथ उसका यथासंभव सही-सही विवरण;
 - (ख) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है उसके तथ्यों का विवरण, और
 - (ग) कानून का पाठ,
 - (i) उस अपराध को परिभाषित करना और
 - (ii) उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा।
3. यदि अनुरोध किसी आरोपित व्यक्ति से संबंधित है तो अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-भाग में किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट और ऐसे साक्ष्य भी होने चाहिए जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अनुसार यदि वह अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के भू-भाग में किया गया हो तो उस पर मुकदमा चलाए जाने के लिए उसकी गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराया जाएगा। इसके साथ ऐसे साक्ष्य भी होने चाहिए कि जिस व्यक्ति के लिए अनुरोध किया गया है, वह वही व्यक्ति है जिसका कि गिरफ्तारी वारंट में जिक्र हो।
4. यदि अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो पहले से ही दोषसिद्ध है और जिसके विरुद्ध सजा सुनाई गई हो उसके साथ निम्नलिखित भी संलग्न होंगे:-
 - (क) निर्णय अथवा दोषसिद्धि के आदेश के साथ-साथ ऐसे अपराध के लिए न्यायालय की सजा की एक-एक प्रति जिसके लिए इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण मंजूर की जाए;
 - (ख) एक ऐसा विवरण जिससे यह पता चले कि कितनी सजा पूरी नहीं की गई है।
5. किसी प्रत्यर्पण अनुरोध के समर्थन में दस्तावेज प्रत्यर्पण संबंधी कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में प्राप्त और शामिल किए जाएंगे बशर्ते कि ऐसे दस्तावेज किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज अथवा सत्य प्रतियों के रूप में प्रमाणित हो और न्यायालय की सरकारी मुहर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हों।
6. किसी ऐसे दोषसिद्धि व्यक्ति के संबंध में जो कि अपने मुकदमे के दौरान उपस्थित नहीं था, वह व्यक्ति इस अनुच्छेद के पैरा (4) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि मानो वह व्यक्ति जिस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था उस अपराध का आरोपी हो।
7. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार यह समझता है कि प्रस्तुत साक्ष्य अथवा इस संधि के प्रयोजन के लिए दी गई सूचना अनुरोध पर किसी प्रकार के निर्णय ले सकने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है तो अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना ऐसे समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की जाएगी जैसी कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को आवश्यक होगा।

अनुच्छेद दस**अंतिम गिरफ्तारी**

1. तात्कालिकता के मामलों में अनुरोधकर्ता पक्षकार, प्रत्यर्पण के अनुरोध की प्रस्तुति लंबित रहने पर वांछित व्यक्ति की अंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है। अंतिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा। ऐसे अनुरोध को भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इंटरपोल) की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।
2. अंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध लिखित में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित होंगे:
 - (क) व्यक्ति की राष्ट्रीयता से संबंधित सूचना सहित वांछित व्यक्ति का हुलिया;
 - (ख) वांछित व्यक्ति का पता;
 - (ग) अपराध घटाने का समय और स्थान सहित मामले के तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण;
 - (घ) उल्लंघन किए गए कानूनों का विवरण, गिरफ्तारी वारंट अथवा वांछित व्यक्ति के विरुद्ध दोषसिद्धि के निर्णय का विवरण;
 - (ङ.) एक वक्तव्य कि वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध इसके पश्चात् प्रस्तुत किया जाएगा।
3. यदि अनुरोधकर्ता पक्षकार, गिरफ्तारी की तिथि के 60 (साठ) दिनों के अंदर अनुच्छेद नौ में निर्दिष्ट दस्तावेज के साथ-साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है।

अनुच्छेद ग्यारह**विशिष्टता का नियम**

1. इस संधि के अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे कि अनुरोधकर्ता पक्षकार को सौंपा जाता है, को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कारावास में नहीं डाला जाएगा या उस भू-प्रदेश में प्रत्यर्पित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित को छोड़कर किए गए किसी अपराध के संबंध में या उसके लिए अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-प्रदेश के अंदर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा:
 - (क) वह अपराध जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया हो;
 - (ख) ऐसे किसी अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का विधिसंगत आदेश नहीं दिया जा सकता, को छोड़कर उसके अभ्यर्पण के प्रयोजनों के लिए प्रमाणित तथ्यों द्वारा सुस्पष्ट किया गया कोई निम्न अपराध; अथवा
 - (ग) ऐसा कोई अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुच्छेद 9 में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर किसी ऐसे अपराध, जिसके संबंध में विधिसंगत रूप से उसके प्रत्यर्पण का आदेश न दिया जा सकता हो या वास्तव में ऐसा नहीं किया जाएगा, को छोड़कर अन्य अपराध के संबंध में उसकी गिरफ्तारी, कैद या उस पर मुकदमा चलाने की सहमति दे सकता है।
2. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित हुए किसी व्यक्ति को, जब तक कि अनुरोध-प्राप्तकर्ता पक्षकार की सहमति नहीं होती है, उसके प्रत्यर्पण से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए किसी तीसरे पक्षकार को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।
3. इस अनुच्छेद का पैरा 1 और 2 किसी प्रत्यर्पित व्यक्ति को हिरासत में लेने, मुकदमा चलाने अथवा सजा देने या किसी तीसरे पक्षकार को उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने पर रोक नहीं लगाएगा, यदि:

- (क) वह व्यक्ति प्रत्यर्पण के पश्चात अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-प्रदेश को छोड़ देता है और स्वेच्छापूर्वक पुनः वापस लौट आता है; अथवा
- (ख) वह व्यक्ति उस दिन के 60 दिनों के अंदर अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र को नहीं छोड़ता है जबकि वह छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो।

अनुच्छेद बारह

अनुपूरक साक्ष्य/सूचना

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार किसी स्तर पर यह समझता है कि प्रत्यर्पण के लिए किए गए किसी अनुरोध के समर्थन में दी गई सूचना इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण मंजूर कर सकने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह पक्षकार अपने द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुपूरक सूचना देने के लिए अनुरोध कर सकता है।
2. यदि वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, गिरफ्तार है और इस संधि के अनुसार दी गई अनुपूरक सूचना पर्याप्त नहीं है या निर्धारित समय-सीमा के अंदर वह सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उस व्यक्ति को हिरासत से रिहा किया जा सकता है। ऐसी रिहाई अनुरोधकर्ता पक्षकार को उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए नए अनुरोध करने से प्रतिबाधित नहीं करता है।
3. जहां पैरा 2 के अनुसार उस व्यक्ति को हिरासत से रिहा किया जाता है, वहां अनुरोधकर्ता पक्षकार यथासंभव शीघ्र अनुरोधकर्ता पक्षकार को अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद तेरह

प्रत्यर्पण से छूट

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता पक्षकार के समक्ष समर्पित होने की सहमति प्रदान करता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अपने कानूनों के अध्यक्षीन नियत प्रक्रिया का सम्मान करते हुए उस व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर देगा।

अनुच्छेद चौदह

मृत्युदंड

यदि अनुरोधकर्ता पक्षकार के कानून के अंतर्गत वांछित व्यक्ति को उस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता है जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, लेकिन अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून में इसी प्रकार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है तो जब तक कि अनुरोधकर्ता पक्षकार ऐसा आश्वासन नहीं दे देता जैसा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार यह पर्याप्त समझे कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है।

अनुच्छेद पंद्रह

प्रत्यर्पित व्यक्ति के लिए गारंटी

1. प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानूनों के अंतर्गत प्रतिवाद करने प्रतिवादी वकील रखने और आवश्यकता पड़ने पर दुभाषिया रखने का अधिकार होगा।
2. प्रत्यर्पित व्यक्ति ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में कैद की जितनी अवधि बितायी है उसे भी अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में काटी गई सजा का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद सोलह

अभ्यर्पण

1. प्रत्यर्पण के अनुरोध पर निर्णय लिए जाने के तत्काल बाद अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार राजनयिक माध्यमों से इस निर्णय की सूचना अनुरोधकर्ता पक्ष को देगा। प्रत्यर्पण अनुरोध से पूर्णतः अथवा अंशतः इन्कार करने के कारण दिए जाएंगे।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार वांछित व्यक्ति को दोनों पक्षकारों के लिए स्वीकार्य अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-भाग में किसी स्थान पर अनुरोधकर्ता पक्ष के समक्ष प्राधिकारियों को अभ्यर्पित कर देगा।

3. अनुरोधकर्ता पक्षकार प्रत्यर्पण आदेश जारी होने के पश्चात् 60 दिनों के भीतर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र से वांछित व्यक्ति को हटा लेगा और यदि वांछित व्यक्ति को उक्त अवधि के भीतर हटाया नहीं जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर सकता है और वह उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण से इन्कार कर सकता है।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित किसी अप्रत्याशित घटना अथवा गंभीर बीमारी, जिससे प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के अभ्यर्पण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, की स्थिति में दूसरे पक्षकार को इस संधि के अंतर्गत निर्धारित अवधि समाप्त होने के पूर्व उन परिस्थितियों की जानकारी देगा और अभ्यर्पण हेतु किसी नई तारीख पर आपसी सहमति बन सकती है।

अनुच्छेद सत्रह

संपत्ति की जब्ती और अभ्यर्पण

1. अपने राष्ट्रीय विधान के अंतर्गत अनुमत सीमा तक अनुरोधप्राप्तकर्ता द्वारा सभी वस्तुओं, दस्तावेजों और प्रत्यर्पणीय अपराध से संबंधित साक्ष्यों को जब्त करके अनुरोधकर्ता पक्ष को अभ्यर्पित करेगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित वस्तुएं तब भी अभ्यर्पित की जा सकती हैं जब वांछित व्यक्ति की मृत्यु, गुमशुदगी अथवा उसके भाग जाने के कारण प्रत्यर्पण निष्पादित न किया जा सके।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष से संपत्ति के अभ्यर्पण के लिए यह संतोषजनक आश्वासन प्राप्त होने पर शर्त रख सकता है कि संपत्ति, यथासंभव शीघ्र अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को वापस कर दी जाएगी। अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष संपत्ति अभ्यर्पण को टाल भी सकता है यदि यह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में साक्ष्य के रूप में आवश्यक है।
3. ऐसी संपत्ति में तीसरे पक्ष के अधिकारों का विधिवत् सम्मान किया जाएगा।

अनुच्छेद अट्ठारह

पारगमन

1. प्रत्येक पक्षकार किसी तीसरे पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को अभ्यर्पित किसी व्यक्ति को अपने भूक्षेत्र से होकर ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। पारगमन के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा। ऐसे किसी अनुरोध के संप्रेषण के लिए इंटरपोल की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसमें ले जाने वाले व्यक्ति का हलिया और मामले के तथ्यों का संक्षिप्त ब्यौरा होगा। पारगमन के दौरान उस व्यक्ति को पारगमन की अवधि के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है।
2. जहां हवाई परिवहन का उपयोग किया जाता है और किसी भी पक्षकार के देश में लैंडिंग निर्धारित नहीं है तो इसे प्राधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी पक्ष के भूक्षेत्र में अनिर्धारित लैंडिंग की जाती है तो दूसरे पक्ष को इस अनुच्छेद के पैरा 1 में किए गए उल्लेख के अनुसार पारगमन अनुरोध की आवश्यकता पड़ेगी। यदि अनिर्धारित लैंडिंग के 4 (चार) दिन अर्थात् (96 घंटे) के भीतर अनुरोध प्राप्त होता है तो वह पक्षकार पारगमन का अनुरोध प्राप्त होने और पारगमन निष्पादित किए जाने तक उस व्यक्ति को कैद रखेगा।

अनुच्छेद उन्नीस

प्रत्यर्पण में पारस्परिक विधिक सहायता

दोनों में से कोई भी पक्षकार जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उससे संबंधित आपराधिक मामलों में अपने कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक अधिकतम आपसी सहायता देगा।

अनुच्छेद बीस

दस्तावेज और व्यय

1. प्रत्यर्पण अनुरोध और साथ में लगाए जाने वाले दस्तावेजों का अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार की भाषा में अनुवाद किया जाएगा।
2. प्रत्यर्पण अनुरोध के निष्पादन पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में हुए व्यय का वहन उस पक्षकार द्वारा किया जाएगा। प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के अंतरण पर होने वाले व्यय का वहन अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा किया जाएगा।
3. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोध से उत्पन्न कार्यवाहियों में अनुरोधकर्ता पक्ष के प्रतिनिधित्व के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाएगा।

अनुच्छेद इक्कीस**केंद्रीय प्राधिकारी**

इस संधि के प्रयोजनार्थ दोनों पक्षकार अपने-अपने केंद्रीय प्राधिकरणों के जरिए बातचीत करेंगे। भारत गणराज्य का केंद्रीय प्राधिकरण विदेश मंत्रालय और ब्राजील परिसंघीय गणराज्य का केंद्रीय प्राधिकरण न्याय मंत्रालय होगा।

अनुच्छेद बाइस**प्रत्यर्पित व्यक्ति की वापसी**

यदि कोई प्रत्यर्पित व्यक्ति अनुरोधकर्ता पक्ष के भूक्षेत्र से भाग जाता है और अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भूक्षेत्र में वापस आ जाता है तो उसे केंद्रीय प्राधिकरण अथवा राजनयिक माध्यमों के जरिए एक साधारण अनुरोध करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की औपचारिकताओं के बिना पुनः अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद तेईस**अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों के अंतर्गत दायित्व**

इस संधि के उन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों से उत्पन्न पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके वे पक्षकार हैं।

अनुच्छेद चौबीस**विवाद निपटान**

इस संधि के निर्वचन में किसी प्रकार के विवाद का निपटान आपसी विचार-विमर्श और बातचीत के जरिए किया जाएगा।

अनुच्छेद पच्चीस**प्रवर्तन और समाप्ति**

1. यह संधि दोनों पक्षों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के अध्यक्षीन है और अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथासंभव किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के आदान-प्रदान किए जाने की तारीख के 30 दिन के भीतर यह प्रवृत्त होगा।
2. दोनों में से कोई पक्षकार किसी भी समय राजनयिक माध्यमों से लिखित सूचना देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है। सूचना देने की तारीख के छह (6) माह के पश्चात् यह समाप्ति प्रभावी होगी।
3. समाप्ति की तारीख को लंबित अनुरोधों पर इस संधि के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

ब्राजीलिया में ईसवी सन् 2008 के अप्रैल माह के सोलहवें दिन हिंदी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में संपन्न सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।“

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

ब्राजील परिसंघीय गणराज्य की ओर से

उपेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी)

[सं. टी-413/44/1998 पार्ट III]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 25th April, 2017

G.S.R. 421(E).—WHEREAS, the Treaty on Extradition between the Republic of India and the Federative Republic of Brazil was signed at Brasilia on the 16th day of April, 2008 and the Instruments of Ratification of the said Extradition Treaty were exchanged at Brasilia on the 21st day of July, 2015;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty entered into force with effect from the 20th day of August, 2015 in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 25 of the Treaty;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty is specified in the Schedule to this Order;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the Federative Republic of Brazil with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty.

SCHEDULE**“Treaty on Extradition between the Republic of India and the Federative Republic of Brazil**

The Republic of India and the Federative Republic of Brazil (hereinafter referred to as “the Parties”)

Desiring more effective bilateral cooperation in the suppression of crime by the extradition of offenders;

Recognizing that concrete steps are necessary to combat transnational organized crime and terrorism;

Wishing to make the efforts in combating impunity more effective;

Respecting the principles of sovereignty, non-interference in internal matters of each of the parties and of the norms of international law;

Have agreed as follows:

Article 1**Obligation to Extradite**

The Parties shall extradite any person found in their respective territories against whom there is a warrant of arrest, issued by a competent judge, for prosecution in respect of an extraditable crime, or convicted of any extraditable crime in the territory of the other Party, in accordance with the provisions of this Treaty, whether such crime was committed before or after the entry into force of this Treaty.

Article 2**Extraditable Crimes**

1. A crime shall be an extraditable crime if it is punishable under the laws of both Parties by deprivation of liberty or imprisonment, for at least a period of one year, or by a more severe penalty.
2. If the extradition is requested for the serving of a sentence imposed in the Requesting Party, the duration of the sentence left to be served shall be of at least for one year.
3. A crime shall be an extraditable crime if it involves an attempt or a conspiracy to commit, aid or abet the commission of or being an accessory before or after the fact to, a crime described in paragraph 1.
4. For the purposes of this Article, a crime shall be an extraditable crime:
 - (a) Where extradition of a person is sought for a crime against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange, money laundering or other revenue matters. Extradition shall not be refused on the ground that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, custom or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.

- (b) Whether or not the laws in the Requesting Party place the crime within the same category of crime or describe the crime by the same terminology.
5. If extradition has been granted for an extraditable crime, it shall also be granted for any other crime specified in the request, even if the latter crime is punishable by less than one year's deprivation of liberty or imprisonment, provided that all other requirements for extradition are met.

Article 3

Composite Crimes

Extradition may be granted in accordance with this Treaty for an extraditable crime, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if under the law of that Party the said conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable crime in the territory of the Requesting Party.

Article 4

Extradition and Prosecution

1. The request for extradition may be refused by the Requested Party if the person whose extradition is sought may be tried for that crime in the courts of that Party.
2. Where the Requested Party refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take a decision in the same manner as in the case of any crime of a serious nature under the law of that Party.
3. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition may be re-examined in accordance with this Treaty.

Article 5

Extradition of Nationals

1. Neither Party shall extradite its own nationals. Nationality shall be determined as at the time of the commission of the crime for which extradition is requested.
2. If, pursuant to paragraph 1, the Requested Party does not surrender the person claimed for the sole reason of nationality, it shall, in accordance with its laws and at the request of the Requesting Party, submit the case to its competent authorities in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate. If the Requested Party requires additional documents, such documents shall be provided free of charge. The Requesting Party shall be informed of the result of such request through diplomatic channels.

Article 6

The Political Crime Exception

1. Extradition shall not be granted if the crime of which it is requested is a crime of a political character. Simply alleging political motives for committing a crime shall not qualify it as a political crime.
2. For the purpose of this Treaty, the following crimes shall not be regarded as crimes of a political character:
 - (a) a crime in respect of which the both Parties have the obligation to extradite or submit the case to their competent authorities for prosecution, by reason of a multilateral international treaty/convention to which both are parties or may become parties in future;
 - (b) the taking or attempted taking of the life or an assault on the person of a Head of State or Head of Government of one of the Parties, or of member of the Head of State or Head of Government's family;
 - (c) murder or culpable homicide/manslaughter;
 - (d) a crime, involving firearms, explosives, incendiaries, destructive devices or substances, causing death, grievous bodily harm or serious damage to property;

- (e) crimes related to terrorism;
 - (f) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;
 - (g) genocide or crimes against the peace and security of humanity;
 - (h) acts of seizing boats and aircrafts;
 - (i) a conspiracy or attempt to commit, or participate in, any of the foregoing crimes.
3. Deeming the crime to be of a political nature shall be in accordance with the law of the Requested Party.
4. Extradition shall not be granted, if the Requested Party considers that, having regard to all the circumstances, including the trivial nature of the crime, or in the interest of justice, it would be unjust or inexpedient to extradite the person.

Article 7

Grounds for Refusal

1. The extradition may be refused:
- (a) if the person sought is being prosecuted by the Requested Party for the same crime for which extradition has been requested;
 - (b) if the person sought has been finally acquitted or convicted and sentenced in the Requested Party or a third State for the same crime for which the extradition is requested;
 - (c) had he been tried in the territory of the Requested Party for the crime for which his/her extradition is requested, he/she would have been entitled to be discharged under any rule of the national legislation of the Requested Party in relation to previous acquittal or sentence;
 - (d) when the prosecution has become barred by lapse of time according to the national legislation of the Requesting Party.
2. Extradition may also not be granted:
- (a) if the crime in respect of which it is requested is a military crime, which is not a crime under ordinary criminal law of either Party;
 - (b) when the Requested Party has reasons to believe that the request for extradition has been made with the intention to prosecute or punish the person sought, for reason of race, religion or gender;
 - (c) if the person whose extradition is sought could be subject to a penalty inadmissible in the Requested Party;
 - (d) when the person whose extradition is sought has been convicted or is due to be judged in the territory of the Requesting Party by an extraordinary or ad hoc court or tribunal. For the purpose of this Agreement, the expression “extraordinary or ad hoc court or tribunal” shall not be interpreted as referring to a special court which is set up by the regular procedure established by the internal law of each Contracting State.

Article 8

Postponement of Extradition

When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for a crime other than that for which extradition is requested, the Requested Party shall surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement.

Article 9**Extradition Procedures**

1. The request for extradition under this Treaty shall be made through diplomatic channels.
2. The request shall be accompanied by:
 - (a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his/her identity, nationality and residence;
 - (b) a statement describing the facts of the crime for which extradition is requested;
 - (c) the text of the law;
 - (d) defining the crime; and
 - (e) prescribing the maximum punishment for that crime.
3. If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting Party and by such evidence as, according to the law of the Requested Party, would justify his committal for trial if the crime had been committed in the territory of the Requested Party, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.
4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied:
 - (a) by a copy of the judgment or order of conviction and the sentence of the court of a crime of which extradition may be granted under this Treaty;
 - (b) by a statement showing how much of the sentence has not been carried out.
5. Documents, in support of an extradition request, shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings, provided the documents are certified by a judge, magistrate or a competent authority to be the original documents or true copies of such documents and are authenticated by the official seal of the court or by the competent authority.
6. In relation to a convicted person who was not present at his/her trial, the person shall be treated for the purposes of paragraph (4) of this Article as if he/she had been accused of the crime of which he/she was convicted.
7. If the Requested Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time, as the Requested Party shall require.

Article 10**Provisional Arrest**

1. In cases of urgency, a Requesting Party may request for the provisional arrest of the person sought pending presentation of the request for extradition. A request for the provisional arrest shall be made through the diplomatic channels. The facilities of the International Crime Police Organization (INTERPOL) may be used to transmit such a request.
2. The application for provisional arrest shall be in writing and shall contain:
 - (a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
 - (b) the location of the person sought;
 - (c) a brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the crime;
 - (d) a description of the laws violated; a statement of the existence of a warrant of arrest, or judgment of conviction against the person sought;
 - (e) a statement that a request for extradition of the person sought will follow.

3. The person arrested may be set at liberty if the Requesting Party fails to present the request for extradition to the Requested Party, accompanied by the documents specified in Article 9, within 60 (sixty) days from the date of arrest.

Article 11

Rule of Specialty

1. Any person who is surrendered to the Requesting Party under this Treaty shall not be, arrested, imprisoned or tried within the territory of the Requesting Party for or in respect of any crime committed before he was extradited to that territory other than:
 - (a) the crime in respect of which he was extradited;
 - (b) any lesser crime disclosed by the facts proved for the purposes of securing his surrender other than a crime in relation to which an order for his extradition could not lawfully be made; or
 - (c) any other crime in respect of which the Requested Party may consent to his arrest, imprisonment or trial concerning the crime other than a crime in relation to which an order for his extradition could not lawfully be made or would not in fact be made, upon submission of documents listed in Article 9.
2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third party for a crime committed prior to his/her extradition unless the Requested Party consents.
3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person or the extradition of that person to a third party, if:
 - (a) that person leaves the territory of the Requesting Party after extradition and voluntarily returns to it; or
 - (b) that person does not leave the territory of the Requesting Party within 60 days of the day on which that person is free to leave.

Article 12

Supplementary Evidence/Information

1. If the Requested Party considers at any stage that the information furnished in support of the request for extradition is not sufficient in accordance with the treaty to enable extradition to be granted, that Party may request that supplementary information be furnished within such time as it may specify.
2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the supplementary information furnished is not sufficient in accordance with this Treaty or is not received within the time specified, the person may be released from custody. Such release shall not preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of that person.
3. Where the person is released from the custody in accordance with paragraph 2, the Requested Party shall notify the Requesting Party as soon as possible.

Article 13

Waiver of Extradition

If the person sought consents to surrender to the Requesting Party, the Requested Party may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible, respecting the need for due process.

Article 14

Capital Punishment

If under the law of the Requesting Party the person sought is liable to the death penalty for the crime for which his/ her extradition is requested, but the law of the Requested Party does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting Party gives such assurance as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 15**Guarantees for the Extradited Person**

1. The extradited person shall be guaranteed all the rights under the laws of the Requested Party and shall have the right of defense, defense counsel, and if necessary, an interpreter.
2. The period of detention to which the extradited person was subjected in the territory of the Requested Party in consequence of the extradition process shall be calculated as part of the sentence to be served in the territory of the Requesting Party.

Article 16**Surrender**

1. The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Requesting Party through diplomatic channels. Reasons shall be given for any complete or partial refusal of a request for extradition.
2. The Requested Party shall surrender the person sought to the competent authorities of the Requesting Party at a location in the territory of the Requested Party as acceptable to the both parties.
3. The Requesting Party shall remove the person sought from the territory of the Requested Party within 60 days from the extradition order and if the person sought is not removed within that period, the Requested Party may set that person at liberty and may refuse extradition for the same crime.
4. In the case of unforeseen events or of serious illness duly certified by the competent authority, which may impede or be an obstacle to the surrender of the person to be extradited, the other Party shall be informed of the circumstances before the expiry of the period prescribed under the Treaty, and a new date for the surrender may be mutually agreed upon.

Article 17**Seizure and Surrender of Property**

1. To the extent permitted under its national legislation, the Requested Party may seize and surrender to the Requesting Party, all articles, documents, and evidence connected with the crime in respect of which extradition is granted. The items mentioned in this Article may be surrendered even when the Extradition cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
2. The Requested Party may condition the surrender the property upon satisfactory assurances from the Requesting Party that the property will be returned to the Requested Party as soon as possible. The Requested Party may also defer the surrender of such property if it is needed as evidence in the Requested Party.
3. The rights of third party in such property shall be duly respected.

Article 18**Transit**

1. Each Party may authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other Party by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channels. The facilities of Interpol may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be detained in custody during the period of transit.
2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled in the territory of either Party. If an unscheduled landing occurs in the territory of one Party, the other Party may require the request for transit to be submitted as in paragraph 1 of this Article. That Party shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, so long as the request is received within 4 (four) days i.e. (96 hours) of the unscheduled landing.

Article 19**Mutual Legal Assistance in Extradition**

Either Party shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the crime for which extradition has been requested.

Article 20**Documents and Expenses**

1. The extradition request and the documents that accompany it shall be translated into the language of the Requested Party.
2. Expenses incurred in the territory of the Requested Party on account of the execution of the request for extradition shall be borne by that Party. The expenses on account of the transfer of the person to be extradited shall be borne by the Requesting Party.
3. The Requested Party shall facilitate all necessary arrangements, with respect to the representation of the Requesting Party, in any proceedings arising out of the request.

Article 21**Central Authorities**

For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate through their Central Authorities. The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs and for the Federative Republic of Brazil, it shall be the Ministry of Justice.

Article 22**Return of Extradited Person**

An extradited person who escapes from the territory of the Requesting Party and returns to the territory of the Requested Party shall be detained by means of a simple request made by the Central Authority or through diplomatic channels and shall be surrendered once more without further formalities.

Article 23**Obligations under International Conventions/Treaties**

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from International Conventions/Treaties to which they are party.

Article 24**Dispute Settlement**

Any dispute arising out of the interpretation of this Treaty shall be settled by means of mutual consultations and negotiations.

Article 25**Entry into Force and Termination**

1. This Treaty is subject to ratification by both sides and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force 30 days after the date of the exchange of the said instruments.
2. Either Party may terminate this Treaty by giving notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given.
3. The pending requests as on the date of termination shall be processed in accordance with the provisions of this Treaty.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at this 16th day of April, Two Thousand and Eight in two originals, each in the Hindi, Portuguese and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.”

**ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF INDIA**

**ON BEHALF OF THE
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL**

UPENDER SINGH RAWAT, Jt. Secy. (CPV)

[No. T-413/44/1998 Pt. III]